

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला -बडवानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 483/2011
संस्थित दिनांक-17.10.2011

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
ठीकरी, जिला बडवानी

..... अभियोगी

वि रु द्ध

रमेश पिता बाबुलाल उम्र 47 वर्ष,
निवासी ग्राम तीन दोनिया तह. शाजापुर,
जिला शाजापुर (म.प्र.)

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री एच.सी. बंसल अधिवक्ता ।

—:: निर्णय ::—
(आज दिनांक 28/02/2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 109/11 के आधार पर दिनांक 16.06.2011 को लगभग रात्रि 01:30 बजे स्थान ओमप्रकाश के ढाबा के पास ग्राम कुंआ में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0250 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर नरेश पिता बाबुलाल यादव की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित करने जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के लिये भा.द.वि. की धारा- 304(ए) का अभियोग है ।

02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ओमप्रकाश करीब रात्रि 01:30 बजे कुंआ से अपने ढाबा पर जा रहा था कि उसके ढाबा के पहले ठीकरी तरफ से एक बोलेरो क्रमांक एम.पी. 09 सी.एच. 9580 दवाना जा रही थी, सामने दवाना तरफ से एक ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0250 का चालक अपने ट्रक को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर लाया व बोलेरो को ड्रायवर साईड सामने से टक्कर मारी जिससे उसमें बैठे व्यक्ति को काफी चोट आई व बोलेरा का ड्रायवर साईड का फाटक टुट कर ट्रक में फस गया । उसने बैठे व्यक्ति को देखा तो आई चोटों से घटनास्थल पर ही मर गया । इसी सूचना फरियादी ने थाने पर दी जहां पर उक्त अपराध क्रमांक 109/11 दर्ज कर मृतक नरेश के शव का परीक्षण कराया । साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर आरोपी से वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0250 के दस्तावेजों सहित जप्त की किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भादवि की धारा- 304(ए) का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। दप्रस की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 16.06.2011 को लगभग रात्रि 01:30 बजे स्थान ओमप्रकाश के ढाबा के पास ग्राम कुंआ में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0250 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर नरेश पिता बाबुलाल की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती?

—:सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अशोक पाटीदार (असा.1) का कथन है कि वह फरियादी ओमप्रकाश को जानता हैं। घटना रात्रि लगभग 12 बजे उसके पास संतोष और ओमप्रकाश का फोन आया था उन्होंने बताया कि बड़वानी की तरफ से जा रही बोलेरो वाहन का एक्सीडेंट हो गया हैं तथा अंजड़ से ठीकरी की ओर जा रही बालू रेत के ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक का नंबर उसे 250 याद हैं, बाकी वह भूल गया। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना स्थल पर पहुंचने पर उसे ओमप्रकाश ने बताया की ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से चला रहा था, जिससे बोलेरो वाहन को टक्कर लगी और बोलेरो निचे करीब 8-10 फीट गड्ढे में गिर गई। साक्षी का यह भी कथन हैं कि बोलेरो वाहन में फसे हुये नरेश यादव को ओमप्रकाश तथा अन्य व्यक्तियों ने निकाला था, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बोलेरो वाहन में मिली डायरी के आधार पर ओमप्रकाश ने उसे सूचना दी थी, तो वह घटना स्थल पर गया था। साक्षी ने नक्शामौका प्रपी-1, सफीना फार्म प्रपी-2, लाश पंचायतनामा प्रपी-3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव को स्वीकार किया की प्रपी-4 में बोलेरो क्रमांक एम.पी. 09 सी.एच. 9580 बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने ट्रक का नंबर एमपी 09 जीई 0250 तथा ओमप्रकाश द्वारा उसे उक्त ट्रक चालक के द्वारा तेज गति और लापरवाही से ट्रक चलाकर बोलेरो वाहन को टक्कर मार देने की बात बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने घटनास्थल से प्रपी-5 के अनुसार उक्त ट्रक का नंबर एमपी 09 जीई 0250 जप्त किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि नक्शामौका प्रपी-1 में ट्रक का मुँह ठीकरी की तरफ था। ट्रक जगन्नाथ के खेत के पास खड़ा था और बोलेरो वाहन दिनेश के पास गिरा हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने ट्रक चालक को नहीं देखा। साक्षी ने स्वीकार किया की बालू रेत के ट्रक रात्रि में लगभग 100-150 तक जाते थें। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि आमने-सामने टक्कर होती तो दोनो वाहनों में क्षति होती। साक्षी ने स्वीकार किया कि

मृतक नरेश बालू रेत का व्यापार करता था और उसका परिचित था। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि नरेश उसका दोस्ता था और उसे क्लेम दिलाने के लिये असत्य कथन किया हैं।

07. अशोक (असा.2) ने दिनांक 17.09.11 को पुलिस थाना ठीकरी के अप.क. 109/11 में जप्तशुदा वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0250 का यांत्रिकीय परीक्षण कर प्रपी-6 का प्रतिवेदन देने के संबंध में कथन किया हैं।

08. डॉ. आर.एस. मुजाल्दे (असा.3) का कथन है कि दिनांक 16.06.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी पर आरक्षक भागीरथ द्वारा लाने पर मृतक नरेश पिता बाबुलाल के शव का परीक्षण करके प्रपी-17 का शव परीक्षण प्रतिवेदन दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. आर.एन.सिंह कुशवाह (असा.4) का कथन है कि दिनांक 16.06.2011 को उसे थाना ठीकरी के अप.क. 109/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर साक्षी अशोक की निशांदेही से प्रपी-1 का नक्शामौका बनाने, आरोपी को गिरफ्तार करने, मृतकी की लाश का नक्शापंचायतनामा बनाने, साक्षीगण को सूचना पत्र जारी करने, तथा आरोपी से वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0250 आरोपी की चालक अनुज्ञप्ति एवं दस्तावेज सहित जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये हैं। बचाव पक्ष कि ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण मे इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त वाहन से कोई दुघटना नहीं हुई थी अथवा उसने असत्य प्रकरण उक्त वाहन के विरुद्ध बनाया था। साक्षी ने स्वीकार कि प्रपी-1 के नक्शामौके में उक्त वाहन की स्थिति नहीं दर्शायी थी। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसने आरोपी को फंसाने के लिये असत्य कार्यवाही की है, अथवा वह असत्य कथन कर रहा हैं।

10. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ओमप्रकाश की मृत्यु होने के कारण उसका परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया तथा अन्य किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना दिनांक, स्थान और समय पर आरोपी द्वारा उक्त वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0250 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षपूर्ण तरिके से चलाकर नरेश पिता बाबुलाल की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं यहां तक की आरोपी की पहचान भी नहीं की और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर भी नहीं बताया हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है, तथा उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।

11. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने मे पुर्णतः असफल रहा है।

12. अतः यह न्यायालय आरोपी रमेश पिता बाबुलाल उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम तीन दोनिया तह. शाजापुर, जिला शाजापुर म.प्र. को भा.द.वि. की धारा- 304(ए) के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

13. आरोपी के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
14. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।
15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0250 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.